भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश

ऐसा ज्ञात/संज्ञान हआ है कि जिला नूंह की सीमा के अन्दर कूड़ा करकट के ढेरों को जला दिया जाता है, कूड़ा करकट को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, तनाव, क्रोध या मावन जीवन पर भारी खतरे की सम्भावना रहती है।

अतः दण्ड प्रक्रिया नियमवाली, 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत मैं, शक्ति सिह, भा0प्र0से0, जिलाधीश, नूंह तुरन्त प्रभाव से समस्त नूंह जिले में कूड़ा करकट की डंपिंग साईटो पर कूड़ा करकट को जलाने पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाता हूं।

आपातकालीन स्थिति व समय की कमी तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं, यह आदेश सम्बन्धित व्यक्तियों की अनपस्थिति में पारित करता हूं तथा यह जन सामान्य को सम्बोधित करता हूं।

इस आदेश का जिला नूंह में ढोल बजाकर, जिला लोक सम्पर्क विभाग की वैन/जीप द्वारा मनादी करवाकर तथा जिला कचहरी उपमण्डल कचहरी तथा सार्वजनिक स्थानों व पुलिस स्टेशनों पर नोटिस चस्पा करके प्रचार किया जाए।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 संपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्ड का भागी होगा।

उपरोक्त आदेशों की पालना जिला नगर आयुक्त, नूंह, जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी, नूंह, क्षेत्रिय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड, नूंह जिले के समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने नियन्त्रण क्षेत्र में सुनिश्चित करेंगें।

यह आदेश आज दिनांक 15 नवम्बर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया जाता है।

Shakti

जिलाधीश, नूंह।

पृ०क्रमांक 4012-31 एम0बी0 दिनांक 15/11/2021

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू है रू

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ ।
2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह/राजस्व विभाग, चण्डीगढ।
3. आयुक्त, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद ।
4. महा निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, पंचकूला ।
5. महानिदेशक पुलिस, हरियाणा, पंचकूला।

6. महानिरीक्षक पुलिस, दक्षिण रेंज, रेवाडी।

7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नूंह ।

8. राज्य के सभी उपायुक्त।

9. अतिरिक्त उपायुक्त, नूंह ।

10.पुलिस अधीक्षक, नूंह ।

11.उपमण्डल अधिकारी (ना०), नूंह/फिरोजपुर झिरका/पुन्हाना/तावडू।

12.जिला राजस्व अधिकारी, नूंह/ जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूंह।

13.जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।

14.जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, नूंह।

15.उप–निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नूंह ।

16.सचिव, नगरपालिका, नूंह /फिरोजपुर झिरका/पुन्हाना/तावडू।

17.जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।

18.जिला सूचना एवं तकनीकी अधिकारी, नूंह ।

19.निजि सहायक, उपायुक्त, नूंह ।

जिलाधीश, नूंह।